छठवां अध्याय :लेखा परीक्षा कंडिकाएँ

आवास एवं पर्यावरण विभाग

6.1 मकानों/दुकानों के निर्माण पर पूंजी का अवरूद्ध होना

मध्यप्रदेश गृह निर्माण मंडल द्वारा दुर्ग में निर्मित 22 मकानों एवं 24 दुकानों के विक्रय नहीं होने के परिणामस्वरूप 1.56 करोड़ रूपये की पूंजी अवरूद्ध रही ।

मध्यप्रदेश गृह निर्माण मंडल मकान, दुकान एवं शापिंग काम्प्लेक्स बनाता है एवं भाड़ा क्रय योजना या लोक नीलामी के अंतर्गत विक्रय करता है । मध्यप्रदेश गृह निर्माण मंडल, दुर्ग ने वर्ष 1986–99 में पूर्ण निर्माण किये गये 68.71 लाख रूपये की लागत से 22* मकान एवं 87.72 लाख रूपये की लागत से 24** दुकान निर्मित की जो 1986–99 के दौरान पूर्ण हुए एवं दिसम्बर 2002 तक बिना विक्रय पड़े हुये थे । इसके परिणामस्वरूप मंडल की 1.56 करोड़ रूपये की पूंजी अवरूद्ध थी । 22 में से 5.11 लाख रूपये लागत के 3*** मकान उनके निर्माण से रिक्त थे तथा इनका वर्तमान मूल्य निश्चित तौर पर कम है ।

सम्पदा प्रबंधक , आवास और शहरी विकास प्राधिकरण, दुर्ग इन मकानों/दुकानों के अविक्रीत रहने के कारण स्पष्ट करने में असमर्थ था (जनवरी 2003)। मंडल को मकानों/दुकानों की केवल मांग निर्धारित करने के उपरांत निर्माण का विचार करना था जो सुनिश्चित नहीं की गयी थी ।

प्रकरण शासन एवं आयुक्त, मध्यप्रदेश, गृह निर्माण मंडल को भेजा किया गया था (अक्टूबर 2001 एवं फरवरी 2002), उनका उत्तर अपेक्षित है (फरवरी 2003)।

---

* 5 उच्च आय समूहः 15.31 लाख रूपये, 16 मध्यम आय समूहः 52.15 लाख रूपये, 01 आर्थिक रूप से कमजोर वर्गः 1.25 लाख रूपये ।

** 4 पदम्नाभपुरः 18.18 लाख रूपये, 3 मालवीय नगरः 11.81 लाख रूपये, 17 बस स्टेंड दुर्गः 57.73 लाख रूपये ।

*** बोरसी में एक 1988 एवं दूसरा 1990 में 4.09 लाख रूपये में 2 उच्च आय समूह का निर्माण, पदमानभपुर दुर्ग में 1986 में 1.02 लाख रूपये में 1 मध्य आय समूह का निर्माण ।

6.2 ठेकेदारों से अतिरिक्त लागत की वसूली न होना

ठेकेदारों से 20.10 लाख रूपये की वसूली हेतु प्रभावी कदम नहीं उठाया जाना ।

मध्यप्रदेश गृह निर्माण मंडल ने विभिन्न कार्यों के निष्पादन हेतु ठेके में लगातार इस शर्त पर प्रवेश किया है कि यदि ठेकेदार द्वारा कोई कार्य अपूर्ण छोड़ा जाता है तो मध्यप्रदेश गृह निर्माण मंडल दूसरे ठेकेदार या एजेन्सी से शेष कार्य को पूर्ण कराने की व्यवस्था करेगा एवं कार्य की पूर्णता हेतु कोई अतिरिक्त लागत आने पर दोषी ठेकेदार से वसूली योग्य होगी ।

संपदा प्रबंधक, मध्यप्रदेश गृह निर्माण मंडल, बिलासपुर संभाग के कार्यालय के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया (अप्रैल 2002) कि ठेकेदारों द्वारा अपूर्ण छोड़े 13 कार्य 1979–94 की अवधि के दौरान निरस्त किये एवं 22.40 लाख रूपये का अतिरिक्त व्यय कर अन्य एजेन्सियों से फरवरी 1985 और अप्रैल 1996 के मध्य पूर्ण कराये गये थे । अतिरिक्त व्यय मूल ठेकेदारों से वसूल किया जाना था परन्तु केवल 1.30 लाख रूपये की वसूली हुई एवं अवशेष 20.10 लाख रूपये की वसूली नहीं हुई थी (जनवरी 2003)।

संपदा प्रबंधक ने बताया कि वसूली हेतु कार्यवाही की जा रही थी (जनवरी 2003)। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि समय व्यतीत होने के कारण वसूली संभव नहीं थी ।

प्रकरण शासन को भेजा गया था (मई 2002), उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (फरवरी 2003)।